प्रायः सर्वत्र एक से ही हैं। गौ, तथा ब्राह्मण के प्रति आदर भारत के प्रत्येक भाग में पाया जाता है। सामाजिक एवं धार्मिक मेले तथा पर्व भी देश के प्रत्येक भाग में प्रचलित हैं। इस प्रकार भारत में मौलिक सांस्कृतिक एकता सदैव वर्तमान रही है।

भारत की सांस्कृतिक एकता के स्वरूप पर विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। आज हम भारत में जो संस्कृति देखते हैं वह मिली-जुली है अर्थात् उसके निर्माण में देश में रहने वाले विभिन्न धर्मावलम्बियों एवं विभिन्न जाति-समूहों का योगदान है। श्री नेहरू ने 'दी यूनिटी आफ इन्डिया' में कहा है कि 'भारत की पृष्ठभूमि और एकता मूलतः सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक एकता धार्मिक एकता से भिन्न है। इस संस्कृति में सहिष्णुता की भावना है तथा इसमें दूसरे तथ्यों को ग्रहण करने की और युग के अनुकूल अपने को परिवर्तित करने की अद्भुत क्षमता है।"

भारतीय संस्कृति को न हिन्दू संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, न ही मुस्लिम संस्कृति कहा जा सकता है। इन सब संस्कृतियों के सम्मिश्रण से भारतीय संस्कृति का निर्माण हुआ है। प्रारम्भ में अनेक जातियाँ आईं और भारत के जीवन में मिल गईं। इन सब जातियों के योगदान से भारत की संस्कृति का निर्माण हुआ है।

भाषा की एकता

भारतवर्ष अनेक भाषाओं का देश है। पन्द्रह भाषायें तो भारत के संविधान में ही स्वीकार की गई हैं। सभी प्रादेशिक भाषाओं का साहित्य बहुत अधिक भरा-पूरा है, किन्तु भाषा की यह अनेकता उतनी जबर्दस्त नहीं है जितनी कि संस्कृत भाषा के द्वारा पैदा किया हुआ एकता का भाव; देश के एक-एक कोने तक संस्कृत भाषा का आदर होता रहा है और प्राचीन काल में विद्वानों की भाषा संस्कृत ही थी। सभी साहित्यों पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा है और संस्कृत के शब्द भी उनमें बहुत अधिक विद्यमान हैं।

धर्मों की एकता

भारतवर्ष में हिन्दू, जैन, सिक्ख, बौद्ध, मुसलमान, ईसाई और पारसी सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं और अत्यन्त प्राचीन काल से रहते आये हैं किन्तु भारतवर्ष के सन्तों और महात्माओं ने समय-समय पर सभी धर्मों की एकता का भाव समझाया है। कबीर, नामदेव, नानक आदि सन्तों ने तथा अशोक और अकबर जैसे महान् सम्राटों ने एवं महात्मा गाँधी जैसे राष्ट्रनायकों ने विभिन्न धर्मों के बीच परस्पर एकता स्थापित करने का जो प्रयत्न किया उसके फलस्वरूप धर्मों की अनेकता राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधक नहीं होने पाई।

आधुनिक काल में एकता

आज भारतवर्ष स्वतन्त्र है। आज भारत का शासन एक ही संविधान के द्वारा होता है। भारत में एक ही लोकसभा है, एक ही न्याय-व्यवस्था और एक ही कानून है। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध देश की आजादी के लिये प्रत्येक ने भाग लिया और पाकिस्तान का बँटवारा हो जाने के बाद भी भारत के प्रत्येक भाग में एकता का भाव उत्पन्न हुआ। हम देश में समाजवादी एकता के भाव उत्पन्न करना चाहते हैं जिसमें जाति-पाँति, वर्ग और धर्म आदि का भेद-भाव न होगा। उज्ज्वल भविष्य का यह स्वप्न देश को एकता के सूत्र में आबद्ध करता है।

रते हैं लेकिन इसकी आन्तरिक पर्वत श्रेणियाँ जैसे—विंध्य, अरावली, सतपुड़ा आदि तथा नदियाँ जैसे—गंगा, सिन्धु, ब्रह्मपुत्र आदि इसके एक भाग को दूसरे भाग अलग नहीं करतीं। भौगोलिक एकता को दृढ़ करने के लिये धर्माचार्यों ने जिन मुख नदियों, पवित्र स्थानों तथा पर्वतों का उल्लेख किया है वे देश के भिन्न-भिन्न ागों में फैले हैं किसी एक भाग में नहीं।

आठवीं शताब्दी में शङ्कराचार्य ने देश में चार धामों की स्थापना की थी। त्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में सेतबन्धु रामेश्वरम्, पश्चिम में द्वारिका और पूर्व में पुरी न चारों तीर्थों की तीर्थयात्रा करते हुये भौगोलिक एकता का आभास मिलता है।

राजनीतिक एकता

भारतीय इतिहास में राजनीतिक एकता अधिक समय के लिये स्थापित न हो की फिर भी यह कहना गलत है कि अँग्रेज शासकों ने ही भारत को सबसे पहले ाजनीतिक एकता प्रदान की थी। प्राचीन काल में महान् सम्राट अशोक का साम्राज्य गभग सम्पूर्ण भारत में फैला हुआ था। इसका प्रमाण उसके अभिलेखों से प्राप्त ोता है जो देश के प्रत्येक भाग में पाये गये हैं। अशोक के बाद गुप्त सम्राटों का भी धिकार देश के विशाल भू-भाग पर था। आगे चलकर कुछ मुसलमान शासकों ने ी देश के एक बड़े भाग में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। अकबर ने राजनीतिक कता को स्थापित करने का प्रयास किया। श्री यदुनाथ राय ने लिखा है कि 'अकबर के समय में सरकारी कर्मचारियों का तबादला साम्राज्य के एक भाग से दूसरे ाग तक हुआ करता था जिससे उनके हृदय में साम्राज्य की एकता का भाव दृढ़ ो सके।

राजनीतिक एकता के भाव का उल्लेख साहित्यिक ग्रन्थों में भी मिलता है। म्राटों की प्रशंसा करते हुये लिखा गया है कि उनका साम्राज्य समुद्र तक फैला होता ा। कालीदास ने रघुवंशी राजाओं को आसमुद्र क्षितीश कहा है अर्थात् वे समुद्र तक फैली हुई पृथ्वी के स्वामी थे।

प्राचीन भारत के शक्तिशाली शासक चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रयत्न करते थे और राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञ के अधिकारी होते थे। न केवल भारत के प्राचीन साहित्य में अपितु इतिहास में भी ऐसे राजाओं के उल्लेख मिलते हैं जिन्होंने राजसूय अथवा अश्वमेध यज्ञ किये थे।

सांस्कृतिक एकता

भारत की मौलिक एकता की महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति सांस्कृतिक एकता में हुई है। भारत के विभिन्न प्रान्तों की साहित्यिक और दार्शनिक परम्परा एक सी ही रही है। रामायण और महाभारत आदि ग्रन्थों का पाठ भारत के कोने-कोने में बड़े आदर के साथ किया जाता है और इन दोनों महाकाव्यों की घटनाओं ने देश के निवासियों के चरित्र को प्रभावित किया है। भारत में यदि किसी भी प्रान्त में किसी महान व्यक्ति का उद्भव होता है तो इसका शीघ्र ही सर्वत्र प्रचार होता है। श्री शङ्कराचार्य और रामानुज के उपदेशों का प्रचार सब जगह शीघ्रता से फैल गया। देश में वेदों और उपनिषदों का अध्ययन सर्वत्र उत्साह तथा श्रद्धा के साथ किया जाता है। भारत की सामान्य सांस्कृतिक भाषा संस्कृत इस मौलिक एकता का बहुत बड़ा साधन रही है। देश के प्रत्येक भाग में इसे 'देववाणी' कहा जाता है। सभी विषयों का माध्यम प्राचीन काल में संस्कृत ही रही है। धार्मिक अनुष्ठान, वैवाहिक रीति-रिवाज भी